भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 603

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

'हर घर नल से जल' संबंधी पहल

603. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री तनुज पुनियाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का जल जीवन मिशन (जेजेएम) की 'हर घर नल से जल' संबंधी पहल के अंतर्गत वर्ष 2024 तक देश, विशेषकर गुजरात और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक घर में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या जल जीवन मिशन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल से जल कनेक्शन प्रदान करने में सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा जेजेएम के अंतर्गत 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किए गए गांवों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या वर्ष 2019 से ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शनों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
(घ) बाराबंकी जिले सहित उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल से जल' पहल के अंतर्गत छूट गए परिवारों को नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की समयबद्ध कार्य योजना क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) अगस्त 2019 से, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी में, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को लागू कर रही है, ताकि गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का सुनिश्चित पीने योग्य पानी मिल सके।

माह अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 03.02.2025 की स्थिति के अनुसार, लगभग 12.21 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 03.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.44 करोड़ (79.69%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। अब तक, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 'हर घर जल' राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं अर्थात् 100% परिवारों में जल आपूर्ति हो रही है और उत्तर प्रदेश राज्य सहित शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी परिपूर्णता योजना के अनुसार मिशन के पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की जिला-वार और ग्राम-वार स्थिति भी पब्लिक डोमेन में है और जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी गांव में सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन का प्रावधान करने के बाद, योजना को लागू करने वाला विभाग ग्राम पंचायत को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस पर 'हर घर जल' गांव के रूप में चिह्नित करता है। इसके बाद, ग्राम सभा अपनी बैठक में कार्य पूरा होने की रिपोर्ट को जोर से पढ़ते हुए, औपचारिक रूप से 'हर घर जल' गांव के रूप में स्वयं को प्रमाणित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प और ग्राम सभा का एक छोटा वीडियो जेजेएम डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस में प्रमाणित चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार, प्रमाणन केवल ग्राम स्तर पर और गांव के सभी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के बाद ही किया जाता है।

राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 03.02.2025 तक, 'हर घर जल' के रूप में सूचित किए गए लगभग 2.51 लाख गांवों में से 1.53 लाख से अधिक गांवों को संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित किया गया है।

***

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर हेतु दिए जाने नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 603 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम: दिनांक 03.02.2025 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

संख्या लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15.8.2019 की स्थिति के अनुसार नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		दिनांक 15.8.2019 से नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवार		अब तक, नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00
3	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00
4	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00
5	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
6	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00
7	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	9.46	55.36	17.09	100.00
8	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00
9	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00
10	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00
11	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00
12	उत्तराखंड	14.51	1.30	8.98	12.80	88.25	14.11	97.24
13	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	92.57	0.39	96.05
14	बिहार	167.55	3.16	1.89	157.19	93.82	160.36	95.71
15	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.23	88.87	3.37	92.69
16	लक्षद्वीप	0.13		0.00	0.12	91.39	0.12	91.39
17	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	0.50	37.82	1.21	90.78
18	तमिलनाडु	125.28	21.76	17.37	88.94	71.00	110.71	88.37
19	महाराष्ट्र	146.81	48.44	32.99	80.94	55.13	129.38	88.13
20	उत्तर प्रदेश	267.29	5.16	1.93	228.84	85.62	234.01	87.55
21	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.13	81.68	6.38	84.94
22	कर्नाटक	101.32	24.51	24.19	59.67	58.90	84.19	83.09
23	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.28	81.06	5.32	81.76
24	असम	72.25	1.11	1.54	57.65	79.78	58.76	81.32
25	जम्मू एवं कश्मीर	19.24	5.75	29.92	9.79	50.89	15.54	80.81
26	छत्तीसगढ़	50.04	3.20	6.39	37.01	73.96	40.21	80.35
27	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.85	3.59	79.59
28	ओडिशा	88.70	3.11	3.50	64.66	72.90	67.77	76.41
29	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	39.71	41.56	70.45	73.74
30	मध्य प्रदेश	111.89	13.53	12.09	61.72	55.17	75.25	67.26
31	राजस्थान	107.77	11.74	10.89	47.87	44.42	59.61	55.31
32	झारखंड	62.56	3.45	5.52	30.74	49.14	34.19	54.65
33	पश्चिम बंगाल	175.57	2.15	1.22	93.37	53.18	95.51	54.40
34	केरल	70.80	16.64	23.51	21.75	30.73	38.39	54.23
	कुल	**19,36.93**	**3,23.63**	**16.71**	**12,20.99**	**63.04**	**15,44.62**	**79.75**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस